राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक : न्याय/कोरोना/2020/22930 दिनांक 12.05.2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वॉयरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एव जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 794 दिनांक 07.05.2020 से अवगत कराया है कि कोविड-19 के कारण सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र मे बडे नालो की सफाई का कार्य नही हो रहा है। डामर के कार्य मानसून शुरू होने से पूर्व ही कराये जा सकते है, मानसून शरू होने के बाद लगभग 4 माह तक डामर के कार्य नही हो सकेगें। वर्तमान मे भीलवाडा शहर मे निर्माण कार्यो व नालो की सफाई के कार्य मे प्रत्यक्ष रूप से लगे श्रमिक बैरोजगार हो गये है, इनको जीवन यापन के लिए कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इस हेतु नगर परिषद क्षेत्र मे निर्माण कार्य शुरू कराने हेतु अनुमति चाही है।

अतः उक्त आवेदन पर नगर परिषद भीलवाडा को निर्माण कार्य एवं नालो की सफाई हेतु निम्न शर्तो के अध्यधीन अनुमति जारी की जाती है :-

1. उक्त स्वीकृति पूर्णतया अस्थाई होगी एंव केन्द्र/राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एंव शर्तो की अवहेलना अथवा अन्य कारणों से निरस्त की जा सकेगी ।
2. सर्वप्रथम जारी किये गये कार्यादेश के कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर किया जावे। नवीनतम कार्यादेश अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक होने की स्थिति मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान मे लाया जाकर ही जारी किये जावे।
3. **नियोजित श्रमिको का रहवास यथा संभव कार्यस्थल पर ही किया जावे।**
4. निर्माण श्रमिक एंव अन्य कार्मिकों को फेस मॉस्क का उपयोग/लगाना अनिवार्य होगा ।
5. Social distance के निर्धारित मापदण्डों अनुसार आवागमन किया जावे।
6. आवगामन करने वाले श्रमिक/ कार्मिकों को सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराने होगें ।
7. सभी कार्मिको/श्रमिको के विभिन्न चरणो मे कॉविड-19 टेस्ट कराये जायेगें।
8. आवागमन करने वाले कार्मिको/श्रमिको की सूची संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करायेगें जिसमे संबधित का मूल निवास का पता व मोबाईल नम्बर अकिंत होंगा।
9. उक्त कार्य मे नियोजित श्रमिको व स्टाफ के पास आयुक्त नगर नरिषद भीलवाडा द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश दिनांक 10.05.2020 के अनुसरण मे जारी किये जा सकेगें।
10. भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवॉयजरी एंव जिला स्तर से लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी ।

11. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार सभी व्यक्ति सामाजिक दुरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे, तथा सभी आवागमन करने वाले श्रमिको/कार्मिको का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त स्वीकृति मान्य होगी।
12. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियो को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिग करवाई जाकर प्रदत्त निर्देशो की पालना की जावे।
13. गुटखा तम्बाकू के सेवन तथा थुकनें पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।
14. उक्त आवागमन हेतु भीलवाडा जिले के बाहर से श्रमिको/कार्मिको का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।
15. कॉविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबधित प्रॉटोकोल को फोलो करते हुए एनक्सर I – II मे दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायो का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओ एवं "The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

21/5/2020
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
02. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
05. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
06. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
07. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
08. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
09. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा।
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा
12. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

21/5/2020
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा